रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218672
CG-DL-E-14032020-218672

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13 2020/फाल्गुन 23, 1941
No. 950] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1057(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि एक अनिवासी जो पात्र विदेशी निवेशक है, जोकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के अनुसार कार्य करता है, को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है अथवा संदेय होता है, किए गए प्रतिभूति में संव्यवहार के प्रयोजनार्थ हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु-

(क) ''अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र'' का अर्थ वही होगा जोकि, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) ''मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज'' का वही अर्थ होगा जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) अभिव्यक्ति "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जोकि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट किया गया है।

[अधिसूचना सं. 17/2020 /फा. सं. 173/10/2014-आईटीए-I]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव